

उत्तर प्रदेश शासन  
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2  
संख्या-वे0आ0-2-1225/दस-34(एम)/2008टी0सी0  
लखनऊ : दिनांक : 08 सितम्बर, 2009


संकल्प

विषय:-छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों को प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों पर लागू करने के संबंध में विचार हेतु वेतन समिति का गठन।

छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमानों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के आधार पर राज्य सरकार द्वारा वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में संस्तुति करने के लिए संकल्प संख्या-वे0आ0-2-870/दस-34(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 29 अगस्त, 2008 सपटित संकल्प संख्या-वे0आ0-2-824/दस-34 (एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 22 अगस्त, 2008 द्वारा गठित वेतन समिति से अपनी संस्तुतियाँ 03 माह में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी थी। तदोपरान्त संकल्प संख्या-वे0आ0-2-1302/दस/34(एम)/2008टी0सी0, दिनांक 04 दिसम्बर, 2008 तथा संकल्प संख्या-वे0आ0-2-297/दस/34(एम)/2008टी0सी0, दिनांक 27 फरवरी, 2009 द्वारा उपर्युक्त निर्धारित समयावधि में क्रमशः 03 माह एवं 06 माह की वृद्धि की गयी।


2- वेतन समिति को अपनी संस्तुतियाँ शासन को प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित उपर्युक्त समयावधि में एतद्वारा 06 माह की वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आज्ञा से,

  
( मन्जीत सिंह )  
प्रमुख सचिव।

- 1- यह आदेश दिया कि संकल्प को उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में विज्ञापित किया जाय।
- 2- आदेश दिया कि इस संकल्प की प्रति सचिवालय के समस्त अनुभागों तथा संबंधित अधिकारियों को भेजी जायें।
- 3- आदेश दिया कि संकल्प की प्रति समस्त विभागाध्यक्षों तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं को भेजी जायें।
- 4- आदेश दिया कि इस संकल्प की प्रति समस्त सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों को भेजी जायें।

आज्ञा से,

  
( मन्जीत सिंह )  
प्रमुख सचिव।